

पत्र संख्या : 7वि.शा./विविध-12-04/2020 ज.सं. 265

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव।

सेवा में

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 20/02/2020

विषय :- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के अन्तर्गत लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची को कार्यभारित/ श्रमपुरतों को महंगाई भत्ता की बकाया राशि के भुगतान हेतु रु. 0.72791 लाख मात्र की निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2702-लघु सिंचाई के अंतर्गत निम्नरूपेण दर्शाये गये विभिन्न लघु शीर्षों/उप शीर्षों के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा :—

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2019-20 में			अभियंता
				पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची (DRNMIR001)	लघु सिंचाई, राँची	मॉग संख्या—50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग), मुख्य शीर्ष—2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष—02 भू—जल, लघु शीर्ष—005 अन्वेषण, उपशीर्ष—02—उदवह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण, विस्तृत शीर्ष—01 वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित/ श्रमपुरतों को वेतन, विपत्र कोड—50S270202005020111	0.00000	0.72791	0.72791	मुख्य मंत्री जनसंवाद सं.—2018—11459 के क्रम में आवेदक का बकाया राशि के भुगतान हेतु।
			योग	0.00000	0.72791	0.72791	

आवंटित राशि —₹ बहत्तर हजार सात सौ एकानवे मात्र।

3. आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट शीर्ष 270202005020111 संशोधित उपबंध राशि ₹ 5.73 लाख (पाँच लाख तिहत्तर हजार) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747 /वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
5. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटा आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

20

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. विहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
8. प्रत्येक निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
9. विभिन्न इकाई मर्दों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

(अमिताभ कौशल)

सचिव

20/02/2020

ज्ञापांक :- 265

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/बुपझू सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमिताभ कौशल)

सचिव

20/02/2020

ज्ञापांक :- 265

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरेक प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमिताभ कौशल)

सचिव

20/02/2020